न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 20 / 2021

प्रार्थीगण :

1. गुदड़राम पुत्र लिछमणराम
2. गवरी पुत्री पिदमणराम
3. चिमनाराम पुत्र लिछमणराम
4. छोटी पुत्री लिछमणराम
5. देवाराम पुत्र लिछमणराम
6. राजूराम पुत्र लिछमणराम
7. लीला पुत्री लिछमणराम
8. सोनाराम पुत्र लिछमणराम

सभी जातियान माली निवासी
नानण तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :
राज्य सरकार जरीये
तहसीलदार, पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री मोहम्मद फारूख खान, श्री उदयसिंह कच्छावाह प्रार्थीगण की ओर से
तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 26.02.2021

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी मूल रूप से बागड़ियो की ढाणी नानण के निवासी है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम नानण पटवारी क्षैत्र नानण भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कोसाणा के खतौनी के खाता सं. नया 397 व पुराना 283 पर इन्द्राज है । प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम नानण में स्थित खसरानम्बर 1 रकबा 9.6109 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है जिस पर प्रार्थीगण संयुक्त रूप से काश्त कार्य करते आ रहे है । परन्तु प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1 में आने जाने हेतु कोई रास्ता सरकारी या राजस्व रेकर्ड में नही है इसलिए प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में प्रार्थीगण को काश्त कार्य हेतु व अपने खेत में आने व जाने के लिए एंव प्रार्थीगण के मवेशियो वगैरा व कृषि कार्यो के उपयोग में आने वाले ट्रेक्टर लाने व ले जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है । प्रार्थीगण के पश्चिमी माठ पर स्थित खेत खसरा नम्बर 2 रकबा 0.1537 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन मगरा जो खतोनी के खाता सं. 1 में राज्य सरकार के खाते में दर्ज है । जिसका खाता सं. नया 1 व पुराना 1 पर दर्ज है । जो अप्रार्थी भूमि धारी के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

प्रार्थीगण के खेत के पश्चिमी तरफ स्थित खसरा नम्बर 2 स्थित है एवं उसके आगे डामर सड़क स्थित है । इसलिए प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 2 रकबा 0.1537 हैक्टयर गैर मुमकिन मगरा की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे 50 फीट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाये उपरोक्त मांग किये गये रास्ते को नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी से दर्शाया गया है । प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में आने जाने हेतु रास्ते की अति आवश्यकता है क्योकि प्रार्थीगण के उपरोक्त खसरा नम्बर 1 में आने जाने का कोई रास्ता नही है एवं प्रार्थीगण को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है । इसलिए प्रार्थीगण को उपरोक्त कानून का सहारा लेना पड़ रहा है । प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार एवं श्रीमान न्यायालय के आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है । अतः प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को ग्राम नानण की राजस्व सीमा में स्थित खसरानम्बर 2 की दक्षिणी तरफ वाली माठ के सहारे–सहारे 50 फिट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाने के आदेश फरमावें एवं उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्शित करवाये जाने के आदेश फरमावें ।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम नानण के खसरा नम्बर 2 रकबा 0.19 बीघा किस्म गै.मु.मगरा जो डामर रोड़ (पीपाड़ शहर से साथीन) के पास पूर्व की ओर स्थित है तथा खसरा नम्बर 1 व खसरा नम्बर 2 के पास के पूर्व की तरफ स्थित होने से खसरा नम्बर 1 में आने जाने के लिए रास्ता सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2 में से माना गया है । प्रथम प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता राजकीय भूमि ग्राम नानण के खसरानम्बर 02 रकबा 0.0365 हैक्टयर भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से रूपये 15900/– रूपये मालियत बनती है । जिसकी दुगुनी राशि रूपये 31800/– बनती है । जिसमें से एबीसीडी दूरी ए से बी और बी से सी = 20 X 4.5 गट्टा 90 वर्गगट्टा अर्थात 0.04.10 बीघा । इसी प्रकार दूसरा वैकल्पिक प्रस्तावित रास्ता ग्राम नानण के खसरा नम्बर 2/1 रकबा 0.0546 हैक्टयर की वर्तमान डीएलसी की दर से राशि रूपये 23800/– रूपये मालियत बनती है । जिसकी दूगुनी राशि रूपये 47600/– रूपये होती है। जो क से ख, ग से घ = 30 X 4.5 गट्टा 135 वर्ग गट्टा अर्थात 0.06.15 बीघा उक्त दोनो प्रस्तावित भूमि का रास्ता मौके पर खाली है खसरानम्बर 2 सरकारी भूमि है तथा खसरा नम्बर 2/1 खातेदारी भूमि है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए ग्राम नानण की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

2 के दक्षिणी तरफ वाली माठ के सहारे–सहारे 50 फिट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 1.02.2020 का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के खेत ग्राम नानण के खसरा नम्बर 1 में आने जाने हेतु राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2 किस्म गै.मु.मगरा में आने जाने हेतु मार्क ए से बी, बी से सी 90 वर्गगट्टा अर्थात 0.04.10 बीघा भूमि दिया जाना प्रस्तावित है ।

अतः राजस्व ग्राम नानण के खसरा नम्बर 1 में आने जाने हेतु राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2 में से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 1.02.2020 लाल स्याही से दर्शाये मार्क ए से बी, बी से सी कुल क्षैत्रफल 90 वर्गगट्टा अर्थात 0.04.10 बीघा भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी मालियत राशि रूपये 15900/– रूपये प्रति हैक्टयर बनती है । जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 31800/– रूपये बनती है । प्रार्थी राशि 31800/– रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी/राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष अप्रार्थी को अदा करने हेतु जमा करावें ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 31800/– रूपये का चैक/डी.डी. प्राप्त कर अप्रार्थीगण/राजकोष को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें एवं खसरानम्बर 2 जो भी अतिक्रमित भूमि है उसको खाली कर (अतिक्रमण मुक्त) सुपुर्द करनी है। इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 1.02.2020 व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर